जारी की

अपील /29/2018 न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

1–रामखिलाड़ी पुत्र रामनारायन जाति जाट निवासी शहनावली तहसील व जिला भरतपुर (मृतक)
1/1–शांतीदेवी पत्नी रामखिलाड़ी
1/2–रनवीर सिंह ।
1/3–यशवीर सिंह । पुत्रगण रामखिलाड़ी निवासी सहनावली तहसील भरतपुर
1/4–विनयबीर सिंह।

....अपीलान्टान

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

...... रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध दाखिल खारिज संख्या 457 दिनांक 17–5–2017 ग्रांम सहनावली तहसीलदार भरतपुर बाबत आराजी खसरा नम्बर 267 रकवा 86 ऐयर 267/1017 रकवा 7 ऐयर वाके ग्रांम शहनावली।

उपस्थित :–
1–श्री हनुमान प्रसाद गोयल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 02.08.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 457 दिनांक 17–5–2017 के पेश की गई है। तहसीलदार भरतपुर ने नामान्तकरण संख्या 457 साबूदीन पुत्र कन्हैया जाति रंगरेज मुसलमान के हक में दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट ने उक्त आदेश की अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.11.2018 को पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो की तलबी की गई। पत्रावली तहत तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक/एलआर/24/731 दिनांक 15.2.2024 से नामान्तकरण संख्या 457 की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त हुई जो शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील /29/2018
रामखिलाड़ी वगै0 बनाम सरकार

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 267 रकवा 86 ऐयर बाके ग्राम शहनावली तहसील भरतपुर गैर मुमकिन पोखर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। साबुद्दीन के रकवा 7 ऐयर में से 5 ऐयर रकवा को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपीलांट को बिना सुने 7 ऐयर में से 6 ऐयर बढाकर 91 ऐयर कर दिया व साबुद्दीन का रकवा 2 ऐयर कर दिया है। जिसके खिलाफ अपील संभागीय आयुक्त के यहॉ की हुई है। तहसीलदार ने भी अपीलान्ट के खिलाफ धारा 91 एलआर एक्ट के तहत मकान बाबत बेदखली आदेश किया हुआ जिसकी द्वितीय अपील आर.ए.ए.भरतपुर के न्यायालय में की हुई है। तहत न्यायालय ने नियम विरुद्ध नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। विवादित गैर मुमकिन पोखर है। दाखिल दर्ज करने से पूर्व कोई मोके की जांच नहीं की गई है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 18.10.2018 को श्री बदनसिह के बताने पर हुई, तब जाकर नकल वगै0 लेकर अपील पेश की गई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है।

पैरोकार सरकार ने अपने तर्को में जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश के अनुसार नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण साबूदीन पुत्र कन्हैया के रकवा कमी पूर्ती का है। जिस से अपीलान्ट का कोई लेना देना नहीं है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट का कोई हित निहित नहीं है। अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 457 दिनांक 17.5.2017 का अवलोकन किया गया। यह नामान्तकरण साबूदीन पुत्र कन्हैया जाति रंगरेज के खातेदारी खसरा नम्बर 267/1017 रकवा 0.07 का अंकन नामान्तकरण के कॉलम संख्या 3 लगायत 6 में अंकन है, इन्ही कॉलम में नीचे सिवायक चक मकबूजा राज खसरा नम्बर 267 रकवा 0.86 गै.मु.पोखर दर्ज है, नामान्तकरण के कालम 10 लगायत 13 में साबूदिन पुत्र कन्हैया जाति रंगरेज खसरा नम्बर 267/1017 रकवा 0.02 इन्ही कॉलम के नीचे सिवाय चक मकबूजा राज खसरा नम्बर 267 रकवा 0.91 दर्ज किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित नामान्तकरण रकवा कमी पूर्ती का तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकार किया गया है।

..........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील /29/2018
रामखिलाड़ी वगै0 बनाम सरकार

नामान्तकरण पर अंकित रिपोर्ट जिस प्रकार है :–

"........न्यायालय उपजिला कलेक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 3.8.2015 क0स0/136एलआरए/50/2014 व कार्यालय तहसीलदार /भू.अ./ 2017 / 1935 दिनांक 12.5.17 की पालना मे दा.खा. दर्ज कर वास्ते जांच व उचित आदेशार्थ पेश है........।"

नामांन्तकरण पर दर्ज उक्त रिपोर्ट से यह निर्विवाद है कि अपीलाधीन नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश के अनुपालना मे रकवा कमी पूर्ती का स्वीकार किया गया है। इसे तहसीलदार भरतपुर का स्वतन्त्र आदेश नहीं माना जा सकता है। नामान्तकरण को स्वीकार करने का मूल आधार उपखण्ड अधिकारी भरतपुर का आदेश है। उक्त अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट प्रभावित नहीं है, और नाहीं विवादित आराजी में अपीलान्ट की कोई Loucs standia है। तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 2.8.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर